

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-07/2024-25

-: आदेश :-

धृ 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14/8/2024	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>आवेदक (विक्रेता) मुदुकधारी महतो पिता-सनातन महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-बाधाडीह, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-बाधाडीह के थाना नं०-55, खाता नं०-9, प्लॉट नं०-1989, रकवा-6 डी० भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 141/भू०सु०, दिनांक 21.04.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1609 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान कार्तिक महतो दी० के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है। बिक्रेता खतियान रैयत का संबंध परनाना है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से बिक्रेता का संबंध परनाना है। 4. (क) बिक्रेता ग्राम-बाधाडीह, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता ग्राम-भवानीपुर, थाना-चास, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। 6. क्रेता एवं बिक्रेता (SC/OBC के मामले में) एक ही जिला बोकारो के अन्तर्गत आते हैं। बिक्री की जाने वाली भूमि इसी जिला के अन्तर्गत आता है। 7. बिक्रेता पिछड़ा वर्ग जाति के हैं एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास 2.50 एकड़ जमीन अवशेष बचता है 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 1.07 ए० भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. बिक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता को खतियानी द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 91/3 पर कार्तिक महतो दी० के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं०-3, पृष्ठ सं०-91 में अंकित है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म गोड़ा III है। 18. आवेदक को मौजा-बाधाडीह के थाना नं०-55, खाता नं०-9, प्लॉट नं०-1989, रकवा-6 डी० भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है। 	


आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2023/773718 दिनांक 29.12.2023 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2024/204647 दिनांक 29.02.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) मुदुकधारी महतो पिता-सनातन महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-बाधाडीह, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-बाधाडीह के थाना नं०-55, खाता नं०-9, प्लॉट नं०-1989, रकवा-6 डी० भूमि (क्रेता) प्रेमचंद महतो पिता-स्व० भगतु महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-भवानीपुर थाना-चास, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

C.C. 288 and
5/12/24

अंचल आ
चास।
भूमि सुधार
चास।
सेवा में
विषय :-